प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **13/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

कन्हैयालाल पिता शंकरलाल नागदा पताः गांव बुजड़ा, तहसील–गिर्वा, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

....................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 19/03/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 25.11.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/13/25/62–63 दिनांक 21.01.2025 से लिखा गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गिर्वा ने जरिये पत्रांक भू.अ./सूअअ/2005/13/25/248 दिनांक 07.03.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर न्यायालय को अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 247 दिनांक 06.03.2025 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः प्रकरण निरस्त करने का आदेश फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना जरिये पत्रांक 247 दिनांक 06.03.2025 से उपलब्ध करवा दी गई है एवं अपीलार्थी द्वारा सूचना के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वह प्रत्यर्थी के जवाब/सूचना से संतुष्ट है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19-03-25 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर